पत्र संख्या–6 / आधु0–01–07 / 2010(खंड)गृ0आ0........................ /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना

पटना, दिनांक अगस्त, 2016

विषय :– **बिहार पुलिस के लिए वाहन आरूढ़ जैमर (Stride MIK-1) 02 अदद एवं मिनी जैमर (HJ-01) 04 अदद का वार्षिक अनुबंध (AMC) के भुगतान हेतु कुल ₹ 24,80,622 (चौबीस लाख अस्सी हजार छह सौ बाईस रू0) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक–687 / आपूर्ति, दिनांक 29.06.2016 के आलोक में बिहार पुलिस के लिए वाहन आरूढ़ जैमर (Stride MIK-1) 02 अदद एवं मिनी जैमर (HJ-01) 04 अदद का वार्षिक अनुबंध (AMC), Bharat Electronics Ltd. (BEL) I.E., Nacharam, Hyderabad-500076 से दिनाक 27.12.2015 से 26.12.2016 तक कराये जाने के फलस्वरूप कुल राशि ₹ 62,01,554 (बासठ लाख एक हजार पाँच सौ चौवन रू0) मात्र का अधियाचित 40 % अर्थात ₹ 24,80,622 (चौबीस लाख अस्सी हजार छह सौ बाईस रू0) मात्र के भुगतान हेतु अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के मांग सं0–22 तथा मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0003–केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय, विषय शीर्ष 27 02–अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा विपत्र कोड N2055000010003 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निकासी की गई अग्रिम राशि को किसी भी हालत में बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा और एक माह की अवधि में उसका व्यय अवश्य कर लिया जायेगा। अनावश्यक रूप से निकासी कर उसे बेकार नहीं रखा जायेगा। अग्रिम राशि के विरूद्ध आवश्यकतानुसार बैंक गारन्टी अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ताकि राशि सुरक्षित रहे। राशि व्यय होने के उपरांत शीघ्र नियमानुसार डी0सी0 विपत्र समर्पित कर दिया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. डी0सी0 विपत्र / उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त में विभागीय मंत्री मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6 / आधु0–01–07 / 2010(खंड)गृ0आ0.......6850....... पटना, दिनांक 31 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/08/16

सरकार के अवर सचिव